9.3 सार्वजनिक चार्जिग स्टेशन

व्यावसायिक उपयोग मात्र के लिए स्थापित चार्जिंग स्टेशन। ये सरकारी भूमि एवं निजी भूमि पर स्थापित किये जा सकते हैं। बिहार राज्य में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन को निम्न स्थानों पर स्थापित किया जा सकेगा:–

9.3.1 सरकारी भूमि पर सरकारी इकाईयों द्वारा स्थापित, स्वामित्वाधीन तथा संचालित सार्वजनिक चार्जिग स्टेशन

(i) बिहार सरकार का कोई निगम, बोर्ड, स्थानीय नगर निकाय एवं लोक उपक्रम अपने स्वामित्व की भूमि पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन के पात्र होंगे।

(ii) मशीन/उपकरण का क्रय एवं उसका अधिष्ठापन संबंधित सरकारी इकाई द्वारा किया जाएगा। सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन का संचालन स्वयं उनके द्वारा अथवा उर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (EESL) अथवा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU/CPSU) के माध्यम से किया जा सकेगा। ऐसी सरकारी इकाईयाँ सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना हेतु कंडिका–8 में यथावर्णित विवरण के अनुरूप प्रोत्साहन राशि हेतु पात्र होंगे।

(iii) बिहार में इलेक्ट्रिक वाहन की गतिशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न सरकारी इकाईयों द्वारा निम्नलिखित रोडमैप के अनुसार सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा।

क्र0 सं0	सरकारी संस्था	पहले तीन वर्ष	अगले दो वर्ष
1	पथ निर्माण विभाग (एस एच एवं एम डी आर)	15	15
2	एन. एच. ए. आई.	10	10
3	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	8	8
4	बिहार राज्य सड़क विकास निगम	3	5
5	भवन निर्माण विभाग	10	10
6	उत्तर एवं दक्षिण बिहार विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	10	10
7	पटना नगर निगम	10	10
8	अन्य नगर निकाय	25	25
9	औद्योगिक क्षेत्र	5	5
10	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	7	10
11	केन्द्र सरकार विभाग	10	10
12	रेलवे	20	20
13	हवाई अड्डा	3	3
	कुल	**136**	**141**

(iv) इन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों में कंडिका–8 के अनुसार एक या अधिक प्रकार के चार्जर स्थापित होंगे, बशर्ते उनमें कोटि–2 एवं कोटि–4 के एक–एक चार्जर प्रत्येक स्थान पर स्थापित हों।

(v) स्थान एवं अन्य विस्तृत दिशा–निर्देश परिवहन विभाग द्वारा संबंधित विभागों से परामर्श प्राप्त करने के उपरांत अलग से जारी किया जाएगा।

9.3.2 सरकारी भूमि पर निजी संचालकों द्वारा स्थापित एवं संचालित सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन

(i) निजी संचालक भी सरकारी भूमि पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित एवं संचालित कर सकते हैं, बशर्ते वे संबंधित सरकारी विभाग से लीज/भाड़े पर सरकारी भूमि प्राप्त कर चुके हों। ऐसे निजी इकाई भी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने पर कंडिका–8 में यथा वर्णित प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगे।

(ii) इन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों में कंडिका–8 के अनुसार एक या अधिक प्रकार के चार्जर स्थापित होंगे, बशर्ते उनमें कोटि–2 एवं कोटि–4 के एक–एक चार्जर प्रत्येक स्थान पर स्थापित हों।

(iii) सरकारी भूमि पर निजी संचालकों द्वारा स्थापित एवं संचालित सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन हेतु प्रोत्साहन राशि केवल उन्हीं चार्जर के लिए देय होगा जो अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से तीन वर्षों के अंदर स्थापित किये गये हों एवं चालू किये जा चुके हों।

9.3.3 निजी भूमि पर स्थापित सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन

(i) निजी इकाइयों को भी निजी भूमि पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा, जो उनके स्वामित्व में हो अथवा लीज/भाड़ा/एकरारनामा द्वारा ली गयी हों।

(ii) इन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों में एक या अधिक चार्जर या चार्जरों के संयोजन की सुविधा होगी।

(iii) पेट्रोल पंप स्वामियों को उनकी भूमि पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

(iv) उपरोक्त सभी चार्जिंग स्टेशन अपने स्थलों पर अधिष्ठापित चार्जर के लिए कंडिका–8 में दिए गए विवरण के अनुसार प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र होंगे।

(v) निजी भूमि पर स्थापित सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन के संदर्भ में प्रोत्साहन राशि उन्हीं चार्जर के लिए देय होगी जो अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से तीन वर्ष के अंदर स्थापित किये गये हों एवं चालू किये जा चुके हों।

9.4 सभी प्रकार के चार्जिंग स्टेशन के लिए सामान्य प्रावधान

(i) सभी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन द्वारा ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र दिनांक–14.01.2022 एवं उसके पश्चात् निर्गत संशोधनों एवं प्रावधानों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

(ii) सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना, उनकी अवस्थिति एवं वितरण भी उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र दिनांक–14.01.2022 एवं उसके पश्चात निर्गत संशोधनों के अनुसार होगी।

(iii) सभी आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान द्वारा अपने सदस्यों को चिन्हित पार्किंग क्षेत्र में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए संबंधित को अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) निर्गत किया जा सकेगा।

(iv) पेट्रोल पंपों द्वारा भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जा सकेगा, बशर्ते चार्जिंग स्टेशन का क्षेत्र विभिन्न अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों के अधीन प्रासंगिक प्राधिकार के अग्नि एवं सुरक्षा मापदंड को पूर्ण करते हों।

(v) प्रोत्साहन राशि मात्र उन व्यक्तियों एवं इकाईयों को दी जायेगी, जिन्होंने बिहार सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत चार्जिंग स्टेशनों के लिए अनुदान का लाभ नहीं लिया हो।

(vi) प्रोत्साहन केवल उन्हीं चार्जर के लिए देय होगा, जो Bharat EV Charger (BEVC-AC001 and BEVC-DC001) की विशिष्टिताओं को पूर्ण करता हो।

10. विद्युत शुल्क

(i) राज्य सरकार ऊर्जा विभाग, बिहार के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगी कि सभी सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों को यथोचित दर पर विद्युत आपूर्ति उपलब्ध हो।

(ii) प्रथम तीन वर्षो में सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी चार्जिंग स्टेशनों को Power Tariff में 30% तक का अनुदान दिया जा सकता है।

(iii) परिवहन विभाग द्वारा अनुदान देय होगा।

(iv) राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान की राशि का उल्लेख इलेक्ट्रिक वाहन उपभोक्ताओं के चार्जिंग बिल पर अंकित होना चाहिए।

(v) इलेक्ट्रिक वाहन उपभोक्ता एवं इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों को नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति के लिए राज्य सरकार बढ़ावा देगी।

(vi) इलेक्ट्रिक वाहन उपभोक्ताओं को देय चार्जिंग शुल्क अनुदान के अंतरण एवं इसके अनुश्रवण हेतु परिवहन विभाग द्वारा एक प्रणाली विकसित की जाएगी।

11. रिसाइक्लिंग इको सिस्टम– बैट्री एवं इलेक्ट्रिक वाहन

(i) इलेक्ट्रिक वाहनों की बैट्रियाँ जिनकी क्षमता में 70–80% तक क्षरण हो गया है, को बदला जाना आवश्यक है। इलेक्ट्रिक वाहन की आयु उन्हें उर्जान्वित करने वाली बैट्री से अधिक होती है, इसलिए इलेक्ट्रिक वाहनों के 10 वर्ष के जीवनकाल में दो बार बैट्री बदलने की आवश्यकता होती है।

(ii) बैट्रियों के जीवनकाल की समाप्ति के पश्चात् उनका पुनः उपयोग अथवा रिसाइक्लिंग किया जाना आवश्यक है। पर्याप्त पुनः उपयोग अथवा रिसाइक्लिंग सुविधा के अभाव के गंभीर पर्यावरणीय परिणाम होंगे। इलेक्ट्रिक बैट्रियाँ निस्तारण के क्रम में न केवल विषैली गैस उत्सर्जित करती है, बल्कि इनमें उपयोग होने वाले सामग्री लिथियम एवं कोबाल्ट काफी सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं एवं इन्हें निकाला जाना काफी खर्चीला है।

(iii) अपने जीवनकाल को पूर्ण कर चुके इलेक्ट्रिक बैट्रियों के पुनः उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा बैट्री एवं इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता के सहयोग से रिसाइक्लिंग व्यवस्था की स्थापना को भी प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके तहत बैट्री से बहुमूल्य धातुओं के निष्कर्षण एवं पुनः उपयोग को बढावा दिया जाएगा।

(iv) उद्योग विभाग, बिहार द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार तथा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के परामर्श से बैट्रियों के पुनः उपयोग करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए एक विस्तृत नीति को अधिसूचित किया जाएगा।

12. नीति का कार्यान्वयन

बिहार राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति के निदेशन, अनुश्रवण तथा कार्यान्वयन के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था होगी :–

राज्य स्तरीय इलेक्ट्रिक वाहन संचालन समिति

⇓

इलेक्ट्रिक वाहन अनुश्रवण समिति, परिवहन विभाग

⇓

जिला स्तरीय इलेक्ट्रिक वाहन समिति

12.1 राज्य स्तरीय इलेक्ट्रिक वाहन संचालन समिति

इलेक्ट्रिक वाहन नीति की समीक्षा, नीति मूलक निदेश के निर्धारण तथा प्रभावी कार्यान्वन के अनुश्रवण के लिए शीर्ष स्तर पर एक राज्य स्तरीय इलेक्ट्रिक वाहन संचालन समिति (स्टीयरिंग कमिटी) होगी, जिसके निम्नांकित सदस्य होंगे :–

(1)	मुख्य सचिव, बिहार	अध्यक्ष
(2)	विकास आयुक्त, बिहार	सदस्य
(3)	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, पथ निर्माण विभाग	सदस्य

(4)	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
(5)	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग	सदस्य
(6)	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, ऊर्जा विभाग	सदस्य
(7)	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, उद्योग विभाग	सदस्य
(8)	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	सदस्य
(9)	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, परिवहन विभाग	सदस्य सचिव
(10)	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम	सदस्य
(11)	अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड	सदस्य
(12)	राज्य परिवहन आयुक्त	सदस्य

राज्य इलेक्ट्रिक वाहन संचालन समिति राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अंतर्गत विभिन्न प्रोत्साहन योजना एवं परियोजनाओं के सूत्रण, परिवर्द्धन एवं संशोधन के लिए पूर्णरूपेण सक्षम होगी।

12.2 परिवहन विभागीय इलेक्ट्रिक वाहन अनुश्रवण समिति

(i) इस नीति के कार्यान्वयन के लिए परिवहन विभाग नोडल विभाग होगा।

(ii) इस उद्देश्य से परिवहन विभाग के अंतर्गत सचिव, परिवहन विभाग की अध्यक्षता में एक पूर्णकालिक इलेक्ट्रिक वाहन अनुश्रवण समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें राज्य परिवहन आयुक्त, सदस्य सचिव होंगे।

(iii) यह समिति इस नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगी।

(iv) इलेक्ट्रिक वाहन अनुश्रवण समिति इस नीति के अंतर्गत विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के लिए उपलब्ध राशि के व्यय की स्वीकृति के लिए पूर्णतः सक्षम होगी।

12.3 जिलास्तरीय इलेक्ट्रिक वाहन समिति

(i) जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक जिलास्तरीय इलेक्ट्रिक वाहन समिति होगी।

(ii) नगर आयुक्त, विद्युत कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता इस समिति के सदस्य होंगे तथा जिला परिवहन पदाधिकारी इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।

(iii) इस नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा एवं समस्याओं के निराकरण के लिए प्रत्येक तिमाही में न्यूनतम् एक बार इस समिति की बैठक आयोजित की जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(संजय कुमार अग्रवाल)
सरकार के सचिव

अनुसूची–2 (अनुमानित बजटीय आवश्यकता)

इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023 के क्रियान्वयन एवं उद्देश्य के पूर्ति हेतु अनुमानित बजटीय आवश्यकता का आंकलन।

अधिकतम क्रय प्रोत्साहन			
वाहन का प्रकार	अधिकतम क्रय प्रोत्साहन राशि (रूपये में)	पाँच वर्षों में कुल प्रोत्साहन राशि (करोड़ रूपये में)	प्रत्येक वर्ष प्रोत्साहन राशि (करोड़ रूपये में)
दुपहिया	10,000 x 10000	10	2
चार पहिया	1,50,000 x 1000	15	3
कुल		**25**	5

अतिरिक्त कर छूट* (5 वर्ष के लिए)						
वाहन का प्रकार और मोटर वाहन कर की दर	अधिकतम संख्या	लगभग कीमत	75% टैक्स छूट (करोड़ में)	50% पूर्व से टैक्स छूट (करोड़ में)	25% अतिरिक्त टैक्स छूट (करोड़ में)	प्रति वर्ष अतिरिक्त कर छूट (करोड़ में)
दुपहिया @9%	10000	1 लाख	6.750	4.500	2.250	0.450
चार पहिया @11%	1000	15 लाख	12.375	8.250	4.125	0.825
कुल			**19.125**	**12.750**	**6.375**	**1.275**

* सम्प्रति इलेक्ट्रिक बस का परिचालन बिहार सरकार के अधीन बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के माध्यम से किया जा रहा है, साथ ही बिहार राज्य में भारी इलेक्ट्रिक मोटर वाहन (बस तथा मालवाहक) का निबंधन की संख्या नगण्य होने के कारण कर छूट हेतु कुल उक्त वाहनों की संख्या निर्धारित नहीं है। इस कारण उपरोक्त गणना तालिका में भारी इलेक्ट्रिक मोटर वाहन (बस तथा मालवाहक) के कर में छूट की गणना समाहित नहीं है।

चार्जिंग स्टेशन की संरचना हेतु प्रोत्साहन			
चार्जर का प्रकार	कुल राशि	3 वर्षों में कुल प्रोत्साहन राशि (करोड़ रूपये में)	प्रत्येक वर्ष प्रोत्साहन राशि (करोड़ रूपये में)
कोटि-1	50,000 X 600	3.0	1.0
कोटि -2	1,50,000 X 300	4.5	1.5
कोटि -3	1,50,000 X 300	4.5	1.5
कोटि -4	10,00,000 X 60	6.0	2.0
कुल		**18.00**	**6.0**

चार्जिंग स्टेशन पावर टैरिफ प्रोत्साहन				
चार्जर का प्रकार	चार्जर्स की संख्या	पॉवर आउटपुट	एक साथ चार्ज किए जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहन की संख्या	अधिकतम बेची गई बिजली / दिन (20 घंटा / दिन अनुमानित) KWH
कोटि-2:- Fast AC	1	22 KW	1	440
कोटि-3:- Slow DC	1	15 KW	1	300
कोटि -4:- CCS/CHAdeMO	1	50 KW	1	1000
कुल	**3**	**87 KW**	**3**	**1740**

अधिकतम उपयोग की गयी क्षमता (1740X360)	वर्ष 01 (सी0यू0एफ0 का 15%)	वर्ष 02 (सी0यू0एफ0 का 25%)	वर्ष 03 (सी0यू0एफ0 का 45%)	कुल 03 वर्ष में	03 वर्षों में अनुमानित ऊर्जा बिल @8**/यूनिट (रूपये)
अधिकतम पॉवर बेची / वर्ष (626400 यूनिट)	93960	156600	281880	532440	42.6 लाख
प्रस्तावित बिजली टैरिफ प्रोत्साहन प्रति पीसीएस 3 वर्षों के लिए 30% की दर से कुल					12.78 लाख (लगभग)
3 वर्षों में 30% की दर से विकसित किए जाने वाले 136* पीसीएस के लिए कुल अनुमानित पॉवर टैरिफ प्रोत्साहन					7.17 करोड़ (लगभग)
*कार्यात्मक पीसीएस की अनुमानित **संख्याः– प्रथम** वर्ष में **55**, दूसरे वर्ष में **109**, तीसरे **वर्ष में 136**					
विद्तीय वर्ष **2023–24 के लिए बी.ई.आर.सी. **द्वारा 8** रूपये / यूनिट एच.टी. टैरिफ **अधिसूचित किया गया**					

कुल बजटीय आवश्यकता					
वित्तीय वर्ष	मोटरवाहन टैक्स पर छूट की राशि (करोड़ रूपये में)	खरीद प्रोत्साहन की राशि (करोड़ रूपये में)	चार्जिग स्टेशन प्रोत्साहन की राशि (करोड़ रूपये में)	चार्जिग स्टेशन पॉवर टैरिफ प्रोत्साहन (करोड़ रूपये में)	कुल प्रोत्साहन की राशि (करोड़ रूपये में)
वित्तीय वर्ष 2023-24	1.275	5.0	6.0	2.39	14.665
वित्तीय वर्ष 2024-25	1.275	5.0	6.0	2.39	14.665
वित्तीय वर्ष 2025-26	1.275	5.0	6.0	2.39	14.665
वित्तीय वर्ष 2026-27	1.275	5.0	-----	-----	6.275
वित्तीय वर्ष 2027-28	1.275	5.0	-----	-----	6.275
कुल	**6.375**	**25.0**	**18.0**	**7.17**	**56.545**

"बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023" को लागू करने पर कुल बजटीय आवश्यकता 56.545 करोड़ रूपये इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में होगी। यह गणना विविध अनुमानों पर आधारित है, जिसमें वास्तविकता के आधार पर भिन्नता हो सकती है।

<u>अनुलग्नक–I</u>

मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनार्थ उपस्थापन किये जाने वाले विधेयक / नियमावली / अधिसूचना / नियम / अध्यादेश आदि में संशोधन से संबंधित संलेख के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला सारणी रूप (Tabular Form)

विभाग का नाम :– परिवहन विभाग

संचिका संख्या :– 06 / चार्जिंग स्टेशन–09–29 / 2021

विषय :– लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु ध्वनि एवं वाहनजनित प्रदूषण को नियंत्रित किए जाने के लिए बिहार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन एवं इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए ''बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023'' की स्वीकृति के संबंध में।

विधेयक / नियमावली / अधिसूचना / नियम / अध्यादेश / धारा	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन	प्रस्तावित संशोधन के बाद का प्रावधान	संशोधन का औचित्य
1	2	3	4	5
नयी नीति	नयी नीति	लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु ध्वनि एवं वाहनजनित प्रदूषण को नियंत्रित किए जाने के लिए बिहार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन एवं इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित	''बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023'' की स्वीकृति के उपरांत परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु ध्वनि एवं वाहनजनित प्रदूषण को	''बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023'' स्वीकृत होने पर ध्वनि एवं वाहन जनित प्रदूषण को कम–से–

		करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए "बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023" की स्वीकृति के संबंध में।	नियंत्रित किया जा सकेगा। साथ ही बिहार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सकेगा।	कम किया जा सकेगा। साथ ही चार्जिंग स्टेशन के स्थापना होने से इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्जिंग की सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।